<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क— 24/2014 संस्थित दिनांक— 08.01.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- मन्नू यादव पुत्र त्रिलोक यादव उम्र 33 साल,
- 2. रविन्द्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव उम्र 23 साल,
- 3. सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह यादव उम्र 25 साल,
- 4. राहुल पुत्र शिशुपाल सिंह यादव उम्र 21 साल, निवासी ग्राम बडेरा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 324/34, 323, 506 भाग—दो के आरोप है उन्होंने दिनांक—09.02.2013 को शाम—16:45 बजे ग्राम बडेरा मंदिर के आगे राजघाट रोड थाना चंदेरी में फरियादी अंशार खां की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त साामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी मुन्नू ने फरियादी अंसार की काटने के हथियार हिसया से एवं आरोपी रविन्द्र व राहुल ने फरियादी अंसार को जमीन पर पटक कर तथा आरोपी सोनू ने फरियादी की चांटा मारकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—09.02.2017 को करीब 16:45 बजे की बात है कि फरियादी बस नंबर M.P. 20 F. 6339 को लेकर लिलतपुर से चंदेरी के लिये जा रहा था, कि जैसे ही ग्राम बडेरा मंदिर के पास आया, तो अंसार खां की गाडी के सामने मुन्नू यादव ने मोटर साइकिल खडी करके गाडी रूकवा ली और असांर गेट के नीचे उतरा ओर कहा कि बस क्यों रूकवाई तो मुन्नू यादव बोला कि भतीजे को बस से क्यों उतरा। अंसार ने कहा पैसें नही दिये इसलिए उतार दिया, तो रविन्द्र और रविन्द्र का छोटा भाई मुन्नू यादव आ गये और मुन्नू ने अंसार के सिर में चारा काटने वाला हिसया मार दिया सिर में चोट लगकर खून निकल आया, और उक्त चारों लोग कह रहे थे कि अगर पैसें लोगे तो मोटर नहीं चला पाओंगे, तो गाडी भी नहीं चलेगी, और

कह रहे थे कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। घटना के समय मौके पर मोहर सिंह डायवर, माखन सिंह क्लीनर, समीम खां, शानू शर्मा तथा बस में बैठी सवारियों ने घटना देखी थी। उसने घटना दिनांक 09.02.2013 फरियादी अंसार द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—46/2013 अंतर्गत धारा— 294, 323, 324, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 09.02.2013 को शाम 16:45 बजे ग्राम बडेरा मंदिर के आगे राजघाट रोड थाना चंदेरी में फरियादी अंसार खां की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त साामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी मुन्नू ने फरियादी अंसार की काटने के हथियार हसिया से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी रविन्द्र व राहुल ने फरियादी अंसार को जमीन पर पटक कर तथा आरोपी सोनू ने फरियादी की चांटा मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्ष्य की पुन्वृत्ति को रोकने के उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) के सिहत घटना के प्रत्य क्षदर्शी साक्षियों के रूप में शमीम खां (अ०सा०—2), मोहर सिंह (अ०सा०—3), रानू शर्मा (अ०सा०—4) व मलखान (अ०सा०—6) के कथन न्यायालय में कराये गये, वहीं चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—5) व अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक बलराम मांझी (अ०सा०—7) के कथन भी अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये।
- 06— प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी समीम खां (अ0सा0—2) मोहर सिंह (अ0सा0—3), रानू शर्मा (अ0सा0—4), मलखान (अ0सा0—6) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा इन सभी साक्षियों ने अपने कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर इनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु किये गये प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों ने अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। अतः अभिलेख पर घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में फरियादी अंसार खां (अ0सा0—1) के साक्ष्य शेष बचती हैं।
- 07— अंसार खां (अ0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में पूरी तरह से अभियोजन घटना के समर्थन में कथन देते हुये व्यक्त किया है कि वह बस कमांक—M.P. 20 F. 6339 में कंडेक्टरी करता है तथा दिनांक 09.02.2012 को वह शाम करीबन 04:00 से 05:00 बजे वह उस बस को लेकर लिलतपुर से चंदेरी आ रहा था, तो ग्राम बडेरा के पास जैसे ही बस पहुचीं, तो अभियुक्त मन्नू ने बस के आगे अपनी मोटरसाईकिल खडी करके बस को रोक लिया क्योंकि उसने बस में सवार अभियुक्त रिवन्द्र को चंदेरी थाने के पास उतार दिया था। फरियादी के अनुसार अभियुक्त मन्नू के साथ रिवन्द्र का छोटा भाई एवं एक अन्य व्यक्ति के सामने आने पर पहचान सकता है, कुल चार लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। जिसमें अभियुक्त मन्नू ने चारा काटने वाले हिसये से उसके सिर में मारा था जिससे उसके सिर में चोट आई थी तथा आरोपीगण ने उसे नीचे पटक कर लातघूंसों से मारपीट की थी।

- 08— फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) घटना के समय बस क्रमांक M.P. 20 F. 6339 जो लिलतपुर से चंदेरी चलती थी, का कंडेक्टर था इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के कथनों को कोई चुनौती नही दी गई तथा फरियादी के उपराक्त कथनों की पुष्टि स्वयं उस बस के डायवर मोहर सिंह (अ०सा०—4) ने एवं उसी बस पर चलने वाले हैल्पर माखन (अ०सा०—7) ने अपने न्यायालीन कथनो में की अतः इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नही है कि फरियादी घटना के समय हाजी टैवल्स की बस M.P. 20 F. 6339 पर कंडेक्टरी करता था तथा उक्त बस लिलतपुर से चंदेरी के बीच चलती थीं।
- 09— फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में पूरी तरह से अभियोजन घटना का सर्मथन करते हुये व्यक्त किया है कि लिलतपुर से चंदेरी आते समय ग्राम बडेरा के पास अभियुक्तगण ने बस को रोककर उसके साथ मारपीट की थीं तथा मारपीट करने का कारण उसके द्वारा अभियुक्त रिवन्द्र को बस से थाना चंदेरी के सामने उतार देने का था। फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित है, अंसार खां (अ०सा०—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में स्पष्ट किया है कि वह घटना के समय हाजी बस पर कंडेक्टरी करता था। अभियुक्त रिवन्द्र चंदेरी से बडेरा जाने के लिये बस पर चढा था और क्योंकि वह टिकिट के पैसे नहीं दे रहा था इसलिए उसने अभियुक्त रिवन्द्र को बस से उतार दिया था।
- 10— फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह स्पष्ट किया है कि वह अभियुक्त रिवन्द्र को बस से उतारने के बाद बस को लिलतपुर ले गया था और जब लिलतपुर से बस लेकर वापस आ रहा था, तो अभियुक्तगण ने ग्राम बडेरा पर उसकी बस रोक ली थी तथा उसके साथ इस कारण से मारपीट की, क्योंकि उसने रिवंद्र को बस से उतार दिया था, क्योंकि रिवन्द्र टिकिट के पैसे नहीं दे रहा था। घटना दिनांक को अभियुक्त रिवन्द्र स्वयं फिरयादी की बस से बडेरा जा रहा था, इस बात की पुष्टि बचाव पक्ष की ओर से फिरयादी के प्रतिपरीक्षण की किण्डिका—4 में दिये गये इस सुझाव से होती है कि घटना वाले दिन फिरयादी ने रिवन्द्र को पैसे देने पर टिकिट नहीं दिया था। जिसका खण्डन फिरयादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में किया है।
- 11— बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा स्वरूप दिये गये उपरोक्त सुझाव से ही यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त रविन्द्र फरियादी की बस से

चंदेरी से बडेरा जाने के लिये चढा था और टिकिट के विवाद को लेकर फिरयादी ने उसे बस से उतार दिया था। जहां तक बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा की अभियुक्त रिवन्द्र के पैसे देने पर फिरयादी उसे टिकिट नहीं दे रहा था, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि ऐसे कोई भी घटना बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर स्थापित नहीं की गई जो यह दर्शित करती हो कि अभियुक्त और फिरयादी के बीच पूर्व से ही मनमुटाव था जिसके कारण वह उसे बस में ले जाना नहीं चाह रहा था। अतः एक व्यक्ति जो बस का किराया दे रहा हो उसे बस का कंडेक्टर बिना बात के बस क्यों उतारेगा, इस पर कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। बचाव पक्ष के द्वारा ली गई उपरोक्त प्रतिरक्षा विश्वसनीय नहीं है बिल्क इसके विपरीत उक्त प्रतिरक्षा से इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्त रिवन्द्र को टिकिट के पैसे न देने पर बस से उतारने के कारण अभियुक्तगण के पास घटना घटित करने का पर्याप्त कारण था।

- 12— फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह अखण्डित कथन दिये है कि दिनांक 09.02.2012 को शाम करीबन 04:00 से 05:00 बजे जब वह लिलतपुर से चंदेरी बस कमांक M.P. 20 F. 6339 लेकर आ रहा था तो रविंद्र को बस से उतारने के विवाद को लेकर अभियुक्त मन्नू ने ग्राम बडेरा के पास बस के आगे मोटरसाईकिल खड़ी करके बस को रूकवा लिया था तथा चारा कटाने के हिसये से उसके सिर पर मारा था और उसके साथ लातघूंसों से मारपीट की थी। फरियादी असार खां के उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में उल्लेखित घटना से होती हैं।
- 13— फिरयादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डिका—7 में यह स्पष्ट किया है उसका परीक्षण डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ (अ०सा०—5) ने किया था जिसमें उसने डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ (अ०सा०—5) को सिर में हिसये से चोट आने वाली बात बता दी थीं। घटना के बाद फिरयादी का चिकित्सीय परीक्षण डॉक्टर एस०पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—5) के द्वारा किया गया इस बात पुष्टि स्वयं डॉक्टर एस०पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—5) ने अपने न्यायालीन कथनो में की है। डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—5) ने अपने कथनो में इस बात की भी पुष्टि की है कि चिकित्सीय परीक्षण में उन्होंने ने फिरयादी के बाये कोहनी के पीछे एवं दाहिने गाल पर नीलगू निशान के साथ सिर पर एक फटे हुये घाव की चोट पाई थी जिसका उल्लेख उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श—पी—6 में

- है। जिस पर डॉक्टर एस0पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—5) ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 14— अतः डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—5) की चिकित्सीय साक्ष्य से फरियादी के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनाक को जब उसका चिकित्सीय परीक्षण घटना के बाद किया गया, अन्य चोटों के अलावा उसके सिर पर फटे हुये घाव की चोट थी। जो फरियादी के द्वारा घटना के संबंध में दी गई अखण्डित साक्ष्य को देखते हुये निश्चित रूप से अभियुक्त मन्नू के द्वारा किये गये हिसये के प्रहार से कारित किया जाना साबित होती है।
- 15— निश्चित रूप से हिसया एक काटने का उपकरण हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है उसके प्रहार से हर बार कटे हुये घाव की चोट आये। भादिव की धारा 324 के अपराध की पिरिधि में अपराध आने के लिये चोट की प्रकृति के अपेक्षा उपहित कारित करने के लिये प्रयोग को देखा जाना होता है। फिरयादी की साक्ष्य इस संबंध में अखिण्डत हैं कि घटना में अभियुक्त मन्नू ने उसके सिर में हिसिये से मारा था तथा शेष अभियुक्तगण ने उसके साथ लातघूंसों से मारपीट की थीं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपिनरीक्षण बलराम मांझी (अ०सा0—7) ने विवेचना के प्रकृम पर निश्चित रूप से अभियुक्त के मन्नू के मकान की तलाशी में हिसिया न मिलना बताया है। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब हिथयार के नाम से हिथयार के आकार प्रकार अपने आप में स्पष्ट है तो उसकी प्रकरण में जप्ती न होने से प्रकरण में आई अन्य साक्ष्य पर या अभियुक्तगण पर लगे आरोप का कोई प्रभाव नही पडता है।
- 16— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से अंसार खां (अ०सा०—1) के द्वारा न्यायालय में दी गई साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत होती है बचाव पक्ष इस साक्षी के कथनों में ऐसे कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नही हुआ जो अभियोजन घटना की सत्यता एवं इस साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता को चुनौती दे सके। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा अवश्य ली गई है कि फरियादी शराब पीये था। जिससे उसे गिरने चोट आई थी तथा डॉक्टर एस०पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—5) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस प्रकार की चोट बस से गिरने से आना संभव बताया हैं, परन्तु फरियादी यदि चोट आने के समय शराब के नशे में था, तो डॉक्टर एस०पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—5) के द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श—पी—6 में, इस बात का उल्लेख

अवश्य होता।

17— बचाव पक्ष के पास अपने प्रतिरक्षा स्थापित करने का ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया गया जो यह साबित कर सके कि एक व्यक्ति बस से गिरने के बाद अकारण किसी अजान व्यक्ति के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट क्यों करेगा, जबिक घटना घटित होने का एवं अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ मारपीट करने का जो कारण अंसार खां (अ०सा०—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में बताया है उसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 से तो होती है साथ इस साक्षी की साक्ष्य न्यायालीन कथनों में भी अखिण्डत हैं जो कि पूरी तरह से विश्वसनीय हैं जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्तगण ने पूर्व निर्याजित तरीके से फरियादी के द्वारा अभियुक्त रिवन्द्र को किराया न देने पर बस उतारने के विवाद को लेकर ग्राम बडेरा के पास बस रोककर तथा उसे बस उतार कर उसके साथ मारपीट की घटना कारित की है जो कि अभियुक्तगण का फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय दर्शित करता है।

(7)

- 18— जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा फिरयादी को संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है। तो इस संबंध फिरयादी अंसार खां (अ०सा०—1) ने निश्चित रूप से अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन दिये है कि अभियक्तगण ने उससे कहा था तुम्हें जान से खत्मकर देंगे, परन्तु अभियुक्तगण ने धमकी किस प्रयोजन के लिये दी थी यह कहीं भी फिरयादी ने स्पष्ट नहीं किया। भा०द०वि० धारा 503 में आपराधिक अभित्रास को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार—जो कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षिति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या उससे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।
- 19— फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) को अभियुक्तगण की धमकी से संत्राष कारित हुआ, ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नही है। अंसार खां ने घटना के तुरन्त बाद ही थाने पर स्वयं जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है, इससे यह स्पष्ट

होता है कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा कोई धमकी दी भी गई तो मात्र शाब्दिक धोस रही होगी, जो आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में नही आती है। धमकी किस कार्य को करने या न करने के लिये दी गई, यह भी फरियादी अंसार खां (अ०सा०—1) ने अपने न्यायालीन कथनो में स्पष्ट नही किया है जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा दी गई धमकी ऐसी थी जिससे फरियादी को ऐसा कोई कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 20— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि दिनांक 09.02.2013 को शाम 16:45 बजे ग्राम बडेरा मंदिर के आगे राजघाट रोड थाना चंदेरी में फरियादी अंशार खां की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त साामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी मुन्नू ने फरियादी अंसार की काटने के हथियार हिसया से एवं शेष अभियुक्तगण ने लातघूंसों से उसे स्वेच्छया उपहित कारित की, परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 21— फलतः अंसार खां (अ०सा०—1) को घटना में कारित हुई उपहित के संबंध में अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र त्रिलोक यादव पर भा०द०वि० की धारा 324, 323 एवं शेष अभियुक्तगण रिवन्द्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव, सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह यादव, राहुल पुत्र शिशुपाल सिंह यादव पर भा०द०वि० की धारा 324/34 एवं 323 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र त्रिलोक यादव को भा०द०वि० की धारा 324/34 एवं 323 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 22— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना

न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 23— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्तगण के द्वारा मामूली बात पर बस में यात्रा करने का किराया फरियादी द्वारा मांगने पर बीच रास्तें में बस को रोककर फरियादी के यहां मारपीट कर उसे उपहति कारित की है जिससे निश्चित रूप से बस में चल रही सवारियां एवं बस के स्टाफ को असुविधा के साथ भय का सामना भी करना पड़ा इस तरह के कृत्य में यदि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तो अभियुक्तगण के हौसले बुलंद होंगे और वह इस तरह के अपराध पुनः दोहराने का प्रयास करेगें।
- 24— अभियुक्तगण पर भादवि की धारा 324 के साथ भादवि की धारा 323 के आरोप भी साबित हुये हैं चूंकि धारा 324 गुरूत्तर दण्ड से दण्डनीय है अतः उन्हें मात्र धारा 324 एवं 324/34 के आरोप में दण्डित किया जाना उचित होगा। अतः अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र त्रिलोक यादव को भा०द०वि० की धारा 324 में दोषी पाते हुये 6 माह (छः माह) के सश्रम कारावास एवं 1000/— रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे। अभियुक्त रविन्द्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव, सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह यादव, राहुल पुत्र शिशुपाल सिंह यादव को भा०द०वि० की धारा 324/34 में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह (छः माह) के सश्रम कारावास एवं 1000/— रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से

दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे।

25— अभियुक्तगण की न्यायिक निरोधी में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावें। धारा ४२८ द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। अभियुक्तगण के जमानत संबंधी मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)